Chief Minister's Information System

Jan Ghoshna Patra Listing

Department Panchayati Raj Department

Sr. No.	Announcement Description.	Action Taken by Dept	Status
1	4.1 - श्री राजीव गांधी द्वारा लाये गए 73वें संविधान संशोधन की भावनाओं के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को साकार करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वास्तविक अर्थों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद को अधिकाधिक अधिकार देना।	• श्री राजीव गांधी द्वारा लाये गए 73वें संविधान संशोधन की भावनाओं के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को साकार करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा महिला एवं बाल विकास से जुड़ी गतिविधियां पंचायतों को हस्तान्तरित की जा चुकी है। • इस विषय पर विचार कर सुझाव हेतु मंत्रीमण्डल सचिवालय के आदेश दिनांक 18.02.2020 द्वारा मंत्रीगण की समिति का गठन किया गया था । मंत्रीमण्डल समिति का पुनर्गठन किये जाने हेतु पत्रावली सक्षम स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	Task in Progress
2	4.2 - प्रत्येक गांव की सड़कों की मरम्मत करना तथा जहां सड़क नहीं है, वहां RCC (Reinforced Cement Concrete) की नई सड़कें बनाना तथ जल निकास हेतु समुचित Drainage System को विकसित करना।	• विभाग द्वारा 9566 ग्राम पंचायतों में इंटरलॉकिंग सडक/सीमेंट सडक के निर्माण तथा डेनेज व्यवस्था से जल निकासी का समुचित प्रबन्धन करने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कन्वर्जेंस कर राशि रू 2242 करोड के 53261 कार्य स्वीकृत किये गये।	Task Completed with Continuous Nature
3	4.10 - ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा का गठन।	• ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत 389 इंजीनियर कार्यरत है। अतः पृथक से सेवा के गठन की आवश्यकता नही होने के कारण ग्रामीण अभियान्त्रिकी सेवा के गठन को प्रत्याहरित करने के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दिनांक 07.10.2020 को अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।	Not Feasible

Chief Minister's Information System

Jan Ghoshna Patra Listing

Sr. No.	Announcement Description.	Action Taken by Dept	Status
4	4.11 - पंचायती राज चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटाया जाएगा।	पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटाने का प्रस्ताव को 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में पारित कर दिये जाने के उपरान्त इस बाबत राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 19 में आवश्यपक संशोधन कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना दिनांक 22.02.2019 को जारी कर दी गई है।	Task Completed
5	23.2 - घुमंतु/अर्द्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों को पात्रता के आधार पर बी.पी.एल. में चयनित कर निःशुल्क आवासीय पट्टा।	• राजस्थान पंचायती राज नियम 158 के तहत घुमंतु/अर्द्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों को पात्रता के आधार पर बी.पी.एल. में चयनित कर निःशुल्क आवासीय पटटे जारी किये जा रहे है। • वर्तमान सरकार के कार्यकाल में - बी.पी.एल. पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क आवासीय आवंटित पटटे - 28554 (2904 घुम्मकड भेड् पालक शामिल।)	Task Completed with Continuous Nature
6	27.8.04 - अतिक्रमियों पर शिकंजा कसा जायेगा एवं जमीनों के मामलों में धोखाधड़ी रोकने के लिये संबंधित अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं हाउसिंग सोसाइटियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जायेगी।	• ग्रामीण क्षेत्र की आबादी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम- 165 के तहत विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। • विभागीय पत्र दिनांक 11.06.2020 द्वारा समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को निर्देशित भी कर दिया गया है।	Task Completed with Continuous Nature

Chief Minister's Information System

Jan Ghoshna Patra Listing

Sr. No.	Announcement Description.	Action Taken by Dept	Status
7	27.36.01 - शहरों और गांवों में बीमारियों की रोकथाम और पर्यटन की दृष्टि से स्वच्छता हेतु महत्ती कार्य योजना।	• गांवों में स्वच्छता हेतु वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से राशि रू. 1298 करोड की कार्ययोजना तैयार कर राशि रू. 1078 करोड व्यय की गई। • वर्ष 2021-22 हेतु राशि रू. 3166 करोड़ की कार्ययोजना तैयार की गई है जिसमें से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से राशि रू. 1477 करोड़ तथा शेष राशि 15वें वित्त आयोग, महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनाओं से व्यय किया जा रहा है। जिसके विरूद्ध स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से वर्ष 2021-22 में रू. 364 करोड व्यय की गई।	Task Completed with Continuous Nature
8	1.16 - बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु आवश्यक प्रयास करना, जिससे कि उस भूमि को भूमिहीन एवं सीमांत किसानों हेतु सामुदायिक कृषि हेतु आवंटित किया जा सके।	राज्य की अकृषि योग्य भूमि को जलग्रहण की विभिन्न गतिविधियों द्वारा कृषि योग्य भूमि बनाने हेतू राजीव गांधी जल संचय योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत 11988 हैक्टेयर क्षेत्रफल बंजर भूमि का चिन्हीकरण कर अब तक 3199 हैक्टेयर भूमि को उपचारित किया गया है।	Task Completed with Continuous Nature
9	5.9 - जल पुनर्भरण तंत्र (Water Recharge System) एवं जल संचयन तंत्र (Water Harvesting System) को प्रभावी बनाना।	राजीव गांधी जल संचय योजना प्रथम चरण में 4029 गांवों मे जल संग्रहण एवं जल/नमी संरक्षण के कार्य दो वर्षों में सम्पादित करवाये जावेगें। जलग्रहण विभाग द्वारा 744441 कार्य की स्वीकृति जारी की जाकर 38730 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा 13586 कार्य की स्वीकृति जारी की जाकर 6951 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 11352 कार्य की स्वीकृति जारी की जाकर 5555 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। एवं जल संसाधन विभाग द्वारा 544 कार्य की स्वीकृति जारी की जाकर 252 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।	Task Completed with Continuous Nature